# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 204/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/351

प्रार्थी :–
कनाराम पुत्र रामसुख जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 27.12.2023

## "आदेश"

दिनांक : 22.04.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अन्य की सहखातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नम्बर 1598 क्षेत्रफल 1.9092 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि जो राजस्व रेकर्ड में नई खाता संख्या 287 व पूरानी 260 पर इन्द्राजशुदा है इसी प्रकार खसरा नबंर 1596/2 क्षेत्रफल 0.4854 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नबंर 1597/1 क्षेत्रफल 1.0679 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 2 कुल क्षेत्रफल 1.5533 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकर्ड में नई खाता संख्या 288 व पूराना 261 पर इन्द्राजशुदा है तथा खसरा नबंर 368/1 क्षेत्रफल 0.8575 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में नया खाता संख्या 53 व पूराना 47 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त भूमियो को आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबन्दी 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र रामसुख अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कनाराम पुत्र रामसुख है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवारकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का सही नाम कनाराम पुत्र रामसुख अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम घरेलु बोलचाल वाला नाम कानाराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2023 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा प्रार्थी के पास विकल्प नही है इसलिए

प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र वास्ते सही नाम कानाराम पुत्र रामसुख के स्थान पर कनाराम पुत्र रामसुख किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1598 क्षेत्रफल 1. 9092 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 1596/2 क्षेत्रफल 0. 4854 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नबंर 1597/1 क्षेत्रफल 1. 0679 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 2 कुल क्षेत्रफल 1.5533 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा नबंर 368/1 क्षेत्रफल 0.8575 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र रामसुख के स्थान पर कनाराम पुत्र रामसुख किये जाने के आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि वादी का सही नाम कनाराम हैं जिसे सही किया जाना उचित है कोई आपति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1598, 1596/2, 1597/1 व 368/1 भूमि में दर्ज नाम कानाराम पुत्र रामसुख के स्थान पर कनाराम पुत्र रामसुख राजस्व रेंकर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

## आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1598, 1596/2, 1597/1 व 368/1 भूमि में दर्ज नाम कानाराम पुत्र रामसुख के स्थान पर कनाराम पुत्र रामसुख दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर